न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 21/2021

पवन कुमार पुत्र नन्दकुमार जांगिड़, निवासी खिदरसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम पवन कुमार अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 102/2020 निर्णय दिनांक 09.03.2021

उपस्थितिः–

1 श्री अलीशेर खान, एडवोकेट ––––– –––––– –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 13.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.03.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम पवन कुमार मु0नं0 102/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से पुख्ता मकानात मय चारदिवारी कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है परन्तु अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान के द्वारा रिपोर्ट को साबित किया जाना था लेकिन ऐसा नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली पीछे ही आदेश में लाई गई जबकि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबुत पेश करने बाबत समय दिया जाना चाहिये था जो कि नही दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र रिपोर्ट हल्का पटवारी पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जबकि इस प्रकरण में हल्का पटवारी या अन्य किसी स्वतन्त्र गवाहान के साक्ष्य लिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः—अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से पुख्ता मकानात मय चारदिवारी कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर आबादी बसी हुई है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है परन्तु अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान के द्वारा रिपोर्ट को साबित किया जाना था लेकिन ऐसा नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली सीधे ही आदेश में लाई गई जबकि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबुत पेश करने बाबत समय दिया जाना चाहिए था जो कि नही दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र रिपोर्ट हल्का पटवारी पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है। जबकि इस प्रकरण में हल्का पटवारी या अन्य किसी स्वतन्त्र गवाहान के साक्ष्य लिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:15 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम खीजरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 154 कुल रकबा 1.24 हैक्टर किस्म बारानी में से 0.16 हैक्टर भूमि पर मकान

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.13 19:39:15 IST
Reason: SelfAttested